683

संख्या-698/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
पी0ए0सी0,
पी0ए0सी0 मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग **10-लखनऊः दिनांकः 23-06-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पी०ए०सी० बल में उपलब्ध 17 बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स/उपकरणों आदि के क्रयार्थ धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र सं0-10158/रा0आ0का0/2026-27 दिनांक 11.06.2026 के साथ संलग्न अपने पत्र सं0-पी0ए0सी0-तीन-809/2023(24) दिनांक 03.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पी०ए०सी० बल में उपलब्ध 17 बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स/उपकरणों आदि के क्रयार्थ धनराशि रू0 5,05,63,475/- (रू0 पांच करोड पांच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 11.02.2026 में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पी०ए०सी० बल में उपलब्ध 17 बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स/उपकरणों आदि के क्रयार्थ तथा पीएसी बाढ़ राहत दलों के उपयोगार्थ लाईफ जैकेट, ड्रेगन सर्च लाइट, फ्यूल कन्टेनर (जरीकेन) हेतु स्वीकृत/अनुमोदित रू0 524.72 लाख की धनराशि से पूर्व में शासनादेश दिनांक 04.08.2025 द्वारा आवंटित की गयी धनराशि रू0 19,09,200/- को घटाते हुए राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में **रू0 5,05,63,475/- (रू0 पांच करोड पांच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)** की अवशेष धनराशि निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 के नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में पी 0ए0सी0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त प्रस्ताव तथा विभाग के अपने विभागीय बजट से पोषित किसी अन्य प्रस्ताव में

पुनरावृति न हो।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग गृह विभाग/पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वही उपकरण क्रय किये जायेंगे जो मानकों के अनुसार उपयुक्त एवं आवश्यक होंगे तथा उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हो, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार जैम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(8) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(12) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(13) प्रश्नगत परियोजना के परिणामों की निगरानी का कार्य उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 5,05,63,475/- **(रू0 पांच करोड पांच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 23-06-2026
14:33:10
(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या:-698(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
11- गृह पुलिस अनुभाग-7।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Kuldeep Singh
Date: 23-06-2026
15:00:55

(कुलदीप सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-10/07/2026

प्रेषण संख्या:- 698
आवंटन आदेश संख्या:- 001-698
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-2561-डी0 आई0 जी0 - आई0 जी0 - पी0ए0सी0 , --01-डी आई जी आई जी पी ए सी	वर्तमान प्रगामी	9970000 9970000	9970000 9970000
2	कानपुर नगर-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	8450000 8450000	8450000 8450000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2561-डी0 आई0 जी0 - आई0 जी0 - पी0ए0सी0 , --01-डी आई जी आई जी पी ए सी	वर्तमान प्रगामी	31850000 31850000	31850000 31850000
4	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	293475 293475	293475 293475
	योग	वर्तमान प्रगामी	50563475 50563475	50563475 50563475

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पाँच लाख तिरेसठ हजार चार सौ पचहत्तर
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ पाँच लाख तिरेसठ हजार चार सौ पचहत्तर

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2026.07.10 05:12:21 +05:30

अनुस्मारक-1

पत्रांक: 10285/रा0आ0का0/2026-27

प्रेषक,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0 प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
पी0ए0सी मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राहत आयुक्त कार्यालय

लखनऊ दिनांक 06 जून, 2026

विषयः आनलाइन बजट आवंटन हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड आदि विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त कार्यालय के पत्रांक-10223/रा0आ0का0/2026-27 दिनांक 24-06-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व अनुभाग-10 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-698/एक-10-2026 दिनांक 23.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी0ए0सी0 बल में उपलब्ध 17 बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट उपकरणों आदि के क्रयार्थ हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 5,05,63,475/- (रूपये पांच करोड़ पांच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु सम्बन्धित का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 का पदनाम व कोषागार का नाम/कोड इत्यादि विवरण राहत आयुक्त कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि धनराशि का आनलाइन बजट आवंटन शीघ्र किया जा सके।

भवदीय,

06/6/26

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।

पत्रांक: 10228/रा0आ0का0/2026-27

प्रेषक,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0 प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
पी0ए0सी मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ दिनांक 24 जून, 2026

विषय: आनलाइन बजट आवंटन हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड आदि विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-10 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-698/एक-10-2026 दिनांक 23.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी0ए0सी0 बल में उपलब्ध 17 बाढ़ राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट उपकरणों आदि के क्रयार्थ हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 5,05,63,475/- (रूपये पांच करोड़ पांच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु सम्बन्धित का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 का पदनाम व कोषागार का नाम/कोड इत्यादि विवरण राहत आयुक्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि धनराशि का आनलाइन बजट आवंटन शीघ्र किया जा सके।

भवदीय,

24/6/26

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।

rahat@nic.in 0522-2238200
कक्ष संख्या 212, द्वितीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन,

Jul. 249

महानगर लखनऊ-226006
फोन: 0522-2337455
फैक्स नं0: 0522-2337453
सीयूजी: 9454401167
Email:pachqer@up.nic.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांक: पीएसी तीन-809/2026
दिनांक जुलाई 8, 2026

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः— ऑनलाइन बजट आवंटन हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी का डी0डी0ओ0कोड आदि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

कृपया अपने पत्र संख्या-10223/रा0आ0का0/2026-27 दिनांक 24.06.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएसी बल में उपलब्ध 17वाहन राहत कम्पनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट उपकरणों आदि के क्रयार्थ हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से रूपया-5,05,63,475/- (रू0 पाँच करोड़ पाँच लाख तिरसठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) आन लाईन बजट आवंटन हेतु किये जाने हेतु सम्बंधित का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 पदनाम व कोषागार का नाम/कोड इत्यादि विवरण राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2— उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में निम्नलिखित अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0का पदनाम व कोषागार का नाम/कोड का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	वाहिनी/इकाई	कोषागार कोड	कोषागार का नाम	डी0डी0ओ0 कोड	आवंटित धनराशि (रू0)
1	पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी कानपुर अनुभाग, कानपुर	2000	कानपुर	2495	84,50,000
2	पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी आगरा अनुभाग, आगरा	800	आगरा	2561	99,70,000
3	पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन, लखनऊ	4300	लखनऊ कचहरी	2561	3,18,50,000
4	पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	6000	लखनऊ उ0भवन	2495	2,93,475
कुल योग					**5,05,63,475**

3— अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित डी0डी0ओ0 कोड/ट्रेजरी कोड पर धनराशि आवंटित करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

4— यह पत्र पुलिस महानिदेशक, पीएसी महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

08.07.26

(अनीस अहमद अंसारी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।